कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713551

फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या–2156/XXV– 12(P-11)/2021 देहरादून : दिनांक 21 फरवरी, 2022

सेवा में,

श्री संजीव रावत,
पुत्र श्री खड़ग सिंह रावत,
नि0–नियर मुखानी थाना, मुखानी,
कालाढूगी रोड, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक–15.02.2022 जो इस कार्यालय में दिनांक 18.02.2022 को प्राप्त हुआ है, एंव लो0सू0अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–75 दिनांक 17 फरवरी, 2022 के साथ आपका अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है के सन्दर्भ में मांगी गयी वांछित सूचना इस कार्यालय में 01(एक) पृष्ठ में धारित है जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001

भवदीय,
B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी

प्राप्त - 18/02/22

सूचना का अधिकार

लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष– 0135–2712100/2712200

पत्र संख्याः 75/75–मु.स./सू.अ./2022 दिनांकः 17 फरवरी, 2022

लोक सूचना अधिकारी,
निर्वाचन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आवेदक श्री संजीव रावत पुत्र श्री खड़ग सिंह रावत, नि00–नियर मुखानी, थाना–मुखानी, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल–263139 द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र दिनांक रहित जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय, देहरादून में दिनांक 16.02.2022 को प्राप्त हुआ है, को मूल रूप में आपको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा अनुरोध पत्र पर मांगी गई सूचना निर्वाचन विभाग से संबंधित है। अतः अनुरोधकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र की वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।
संलग्नः यथोक्त।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
लोक सूचना अधिकारी/सहायक स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकनः /स.स्टा.आ.–मु.स./सू.अ./2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–श्री संजीव रावत पुत्र श्री खड़ग सिंह रावत, नि00–नियर मुखानी, थाना–मुखानी, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल–263139 को सूचनार्थ। आप द्वारा मांगी गई सूचना मुख्य सचिव कार्यालय की अभिरक्षा/नियंत्रण में धारित नहीं है अपितु निर्वाचन विभाग से संबंधित होने के कारण आपका आवेदन पत्र संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जा रहा है। **यदि निर्वाचन विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट न हों, तो कृपया निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रेषित करने का कष्ट करें।**

2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न पोस्टल आर्डर सं0 56एफ 327856 (रू0 10/–) को राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
लोक सूचना अधिकारी/सहायक स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,

कार्यालय मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड शासन,

देहरादून।

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के .सम्बन्ध में।.

महोदय,

प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.01.2022 को एक प्रार्थना कार्यालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,सचिवालय परिसर, देहरादून को कार्यवाही करने हेतु प्रेषि किया था। उक्त प्रार्थनापत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नकः—रु0 10/—पोस्टल आर्डर।
प्रार्थना पत्र।

प्रार्थी,

संजीव रावत पुत्र श्री खड़ग सिंह रावत,

नि0 नियर मुखानी थाना, मुखानी,

कालाढूगी रोड, हल्द्वानी,

जिला नैनीताल।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन आयुक्त/
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग,
देहरादून।

विषयः **श्री कविन्द्र पाण्डे, निजी सहायक/वैयक्तिक अधिकारी, जिलाधिकारी नैनीताल, उत्तराखण्ड के द्वारा 22 वर्षों तक एक ही स्थान पर बने रहकर विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2022 के दृष्टिगत व्यक्तिक विशेष को लाभ पहुंचाने के दृष्टिगत स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि श्री कविन्द्र पाण्डे, जो वर्तमान में जिलाधिकारी नैनीताल, उत्तराखण्ड के निजी सहायक/वैयक्तिक अधिकारी के रूप में तैनात हैं। **श्री कविन्द्र पाण्डे विगत 22 वर्षों से एक ही स्थान पर जिलाधिकरी, नैनीताल के साथ तैनात हैं**, जबकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2017 में स्थानान्तरण अधिनियम पारित किया गया है, जिसका अनुपालन अन्य कार्मिकों को कराया जा रहा है, किन्तु श्री कविन्द्र पाण्डे, जो वर्तमान में जिलाधिकारी नैनीताल, उत्तराखण्ड के निजी सहायक/वैयक्तिक अधिकारी को उक्त अधिनियम का अनुपालन नहीं कराया गया है, जो कि अत्यन्त ही खेदजनक है एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत स्थानान्तरण अधिनियम की अवमानना है। जिससे निर्वाचन के दौरान महौल खराब होने एवं व्यक्ति विशेष लाभ पहुंचाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। यदि कोई पार्टी कार्यकर्ता अथवा जनप्रतिनिधि जिलाधिकारी साहब से मिलना चाहता है, तो भी इनकी ही परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि अत्यन्त खेदजनक स्थिति है और कई घण्टों जनप्रतिनिधियों को जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए इन्तजार करना पड़ता है, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा अपने शासनकाल में प्रत्येक अधिकारी को जनता तक मिलने एवं उनकी बात सुनने की हिदायत दी है। किन्तु जनपद नैनीताल, उत्तराखण्ड में जिलाधिकारी महोदय के साथ तैनात **श्री कविन्द्र पाण्डे, वैयक्तिक अधिकारी, जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार** किया जाता है।

सामान्य निर्वाचन–2022 के दृष्टिगत **श्री कविन्द्र पाण्डे, निजी सहायक/वैयक्तिक अधिकारी, जिलाधिकारी नैनीताल, उत्तराखण्ड** व्यक्तिगत हित के लिए निर्वाचन को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है और यह हमेशा कहते हैं कि मेरी पहुंच हर अधिकारी से है और अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इससे प्रतीत होता है कि इनकी जड़े कितनी मजबूत हैं, जो एक कर्मचारी होकर **एक ही स्थान पर 22 साल तक** जमा रह सकता है। अब भी यदि कुछ नहीं होता है तो महोदय आपको अधिकारियों की मिलीभगत का पता चल जायेगा कि कौन अधिकारी इसमें इनकी मदद करता है, जिस कारण से **इनका 22 वर्षों से स्थानान्तरण नहीं हो** पाया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्यत्र स्थान पर करने की कृपा करें, जिससे कि निर्वाचन में किसी तरह की समस्या उत्पन्न न होने पाये।

दिनांक–15.01.2022

प्रार्थी,

संजीव रावत पुत्र स्व0 श्री खड़ सिंह रावत,
नि0 नियर मुखानी थाना
हल्द्वानी, जि0 नैनीताल।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

1–मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि उक्त कर्मचारी के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी कार्यवाही करने की कृपा करें।

2–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को इस निवेदन के साथ कि उक्त कर्मचारी का संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी,

संजीव रावत पुत्र स्व0 श्री खड़ सिंह रावत,
नि0 नियर मुखानी थाना
हल्द्वानी, जि0 नैनीताल।

दश टेका दश टाका દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ .... പത്തു രൂപ दहा रुपये .... दस रुपये दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO P I O to C S

को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें ।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 327856